(37)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक–1146–पीबीआर/2004 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–08–2004 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर सम्भाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक–377/1992–93/अपील

.....

1. मेहरबान पुत्र नारायन जूटाव
2. ओंकार
3. कैलाश
4. देशराज
5. ब्रजकिशोर पुत्रगण मृतक गनेश
6. मुखिया बेवा गनेश
   निवासीगण–ग्राम सिरसौद तहसील करैरा
   जिला–शिवपुरी

————आवेदकगण

विरूद्ध

1. ग्यासी
2. नथ्थू
3. राजाराम
4. गोपाल पुत्रगण मुतिया
5. महिला धनिया बेवा मुतिया
   निवासी– ग्राम सिरसौद तहसील करैरा
   जिला–शिवपुरी
6. मीरा पुत्री मुतिया पति नामालूम
   निवासी–ग्राम छितरी करैरा शिवपुरी
7. महिला सिमनिया पत्नी हरनाम
8. देवी पत्नी मौजी
9. रमको पत्नी तिज्जूराम
   निवासी–ग्राम कलोधरा अब्दूल तहसी करैरा
   जिला–शिवपुरी
10. कस्तूरी पत्नी हज्जूराम
    निवासी–बनगवा करैरा शिवपुरी

————अनावेदकगण

.....

श्री डी0एस0 चौहन, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री बीजेन्द्र धाकड़, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 18/11/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 377/अपील/92–93 पारित आदेश दिनांक 17–08–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम सिरसौद स्थित वादग्रस्त भूमि आराजी नं0 4057 रकबा 0.20, 4058 रकबा 0.38 व 4073 रकबा 0.42 है0 कुल किता–3 रकबा 1.000 है0 जिसके भूमि स्वामी मुतिया थे, इसी से लगा भूमि सर्वे नं0 4056 पर 13 वर्षों से लगातार आवेदकगण काश्त करते आ रहे है । बन्दोबस्त के दौरान आवेदकगण का उक्त भूमि से कब्जे का इन्द्राज छूट गया तब मुतिया (मृतक) द्वारा बन्दोबस्त कार्यालय में आवेदकगण के नाम पूर्वानुसार कब्जा इन्द्राज करवाया था । अनावेदक मुतिया की मृत्यु हो चुकी है एवं उसके वारिसान रिकार्ड पर है, किन्तु आवेदकगण का नाम रिकार्ड पर इन्द्राज नहीं है । अतः आवेदकगण द्वारा न्यायालय तहसीलदार करैरा के यहॉ संहिता की धारा 190 सहपठित धारा 110 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिकार्ड पर नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया । तहसीलदार करैरा द्वारा अपने प्रकरण क्र0 8/91–92/अ–46 में पारित आदेश दिनांक 14.09.92 द्वारा आवेदकगण का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर विवादित भूमि अंकित करने का आदेश दिया । उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी करैरा के यहॉ अपील प्रस्तुत की जो प्र0क्र0 06/92–93/अपील में पारित आदेश दिनांक 15.03.93 द्वारा अपील निरस्त कर दिया गया । इसी आदेश से परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । प्रकरण क्रमांक 377/92–93/अपील पर दर्ज होकर दिनांक 17.08.2004 को प्रस्तुत अपील स्वीकार की गई

तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश खारिज कर दिये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि, आवेदकगण ने अधिनियम की धारा 168—169 (2)(3) व 250 के उपबन्धों को परीक्षण न्यायालय के समक्ष बखूबी साबित किया है । किन्तु अपर आयुक्त ने तो प्रकरण के स्वरूप (Nature of Suit) को ही बदल डाला व रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के खिलाफ इसे विरोधी आधिपत्य (Adverse Possession) का केस बनाकर अधिकारिता रहित आदेश पारित कर दिया गया । आदेश के पद क्रमांक 5 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह निष्कष निकाला गया है किः— " प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय ने कथित मौखिक अनुबन्ध तथा गवाही के बयानात के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि अनावेदकगण को संहिता की धारा 169 के अन्तर्गत मौरूषी कृषक के अधिकार प्राप्त हो चुके है ।" इसके बावजूद प्रतिकूल कब्जे का प्रश्न प्रस्तुत प्रकरण में कहां पैदा हो गया । उन्होंने यह भी बताया कि, तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समवर्ती निष्कर्ष (Consurrent finding) निकाले गये । जब तक उन्हें परवर्स सिद्ध नहीं कर दिया जाता । द्वितीय अपील न्यायालय को उन्हें निरस्त करने का अधिकारिता नहीं है फिर कैसे आवेदकगण के विरूद्ध आदेश पारित किया गया । अतः आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

4/ अनावेदकगण के अभिषक श्री बीजेन्द्र धाकड़ उपस्थित। उनके द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदकगण द्वारा न्यायालय तहसीलदार करैरा के यहॉ संहिता की धारा 190 सहपठित धारा 110 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिकार्ड पर नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है । जबकि तहसील न्यायालय ने कथित मौखिक अनुबंध तथा गवाहों के बयानात के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि आवेदकगण को संहिता की धारा 169 के अन्तर्गत मौरूषी कृषक के अधिकार अनावेदकगण को प्राप्त हो चुके है । खसरे के कॉलम नं0 12 में आवेदकगण का कब्जा दर्ज होने से आवेदकगण को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है क्योंकि आवेदकगण की स्थिति एक अतिक्रामक

की स्थिति है । इस संबंध में केवल प्रतिकूल कब्जे के आधार पर ही आवेदकगण को मौरूषी कृषक मानते हुये तहसील न्यायालय ने भूमिस्वामी घोषित किया है ।

6/ मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा–189/190 के तहत मौरूषी कृषक द्वारा धारित है उस दशा में जब कि उनकी निजी खेती के अधीन भूमि का क्षेत्रफल पच्चीस एकड़ असिंचित भूमि से कम है, उसके मौरूषी कृषक द्वारा धारित भूमि का अपनी निजी खेती के लिए पुनर्ग्रहण करने हेतु इस संहिता के प्रवृत्त होने के एक वर्ष के भीतर उपखंड अधिकारी को आवेदन कर सकेगा । ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, उपखण्ड अधिकारी पक्षकारों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात जैसी की आवश्यक हो, आवेदन को विनिश्चित करेगा । संहिता की धारा 189 के अंतर्गत भूमिस्वामी और मौरूषी कृषक का जीवित संबंध आवश्यक है । मौरूषी कृषक से विक्रय का करार कर लेने उप उससे भूमि इस धारा के अधीन नहीं ली जा सकती ।

7/ उपरोक्त प्रावधान के अनुसार मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि तहसील न्यायालय और अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय ने जो निर्णय निष्कर्ष निकाला है वह समवर्ती निष्कर्ष है । अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष होने से उसके द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है और अपर आयुक्त रीवा के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,